


क्रमांक प.2(3)(ब)(4320)आ.कृ./21067-21106

दिनांक : 21/8/2020

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प.2(3)(ब)(4320)आ.कृ./88-159 दिनांक 14.05.2020 के द्वारा राज्य में टिड्डी प्रकोप के प्रवेश विस्तार पुनः प्रकटन से होने वाली व्यापक हानि से बचाव व टिड्डी सर्वेक्षण एवं नियन्त्रण कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु टिड्डी प्रभावित क्षेत्र में क्र. सं. 1 से 51 पर अंकित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन किये गये थे। इनमें से क्र. सं. 1 को छोड़कर शेष कार्मिकों का किया गया स्थानान्तरण/पदस्थापन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(डॉ. ओम प्रकाश)
आयुक्त कृषि

क्रमांक प.2(3)(ब)(4320)आ.कृ./ 21067-21106

दिनांक 27/8/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. विशिष्ट सहायक मा0 कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कृषि, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद/खण्डीय संयुक्त निदेशक कृषि.....।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मु0 जयपुर को वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित उप निदेशक कृषि (वि0) जिला परिषद/उद्यान/संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/उद्यान/जिला विस्तार अधिकारी (आईजीएनपी).....।
6. अन्य संबंधित कार्यालयाध्यक्ष
7. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी श्री.....।
8. आरक्षी पत्रावली।


(सीतासम जाट)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)